कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– 758 / 14–1, बरेली, दिनांक, 21 / अगस्त / 2017.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– बदायूँ में चन्दौसी–बदायूँ मार्ग एस0एच0– 43 किमी0 59 पर ग्राम मुडिया के खसरा संख्या– 210 में एस्सार ऑयल कम्पनी लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी / यू.पी. / 06 / 10 / 2017 / एफ.सी. / 42 दिनॉक 28.06.17 तथा आपकी पृष्ठाकंन पत्र संख्या– 10 / बदायूँ / 21110 / 2016 दिनॉक 03.07.2017.

महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ ने अपनी पत्र संख्या– 356 / 14–1 दिनॉक 03.08.2017 से अवगत कराया है कि **प्रकरण से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों में प्राधिकृत अधिकारी का नाम, पदनाम व दिनॉक अंकित कर समस्त दस्तावेज मूल रूप से ऑनलाईन भी अपलोड कर दिये गये है।**

प्रभाग स्तर से प्राप्त प्रस्ताव मूल में 02 प्रतियों में संलग्न कर आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(वी0के0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।

पत्र संख्याः– (1) / 14–1, दिनॉकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 सिंह)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
वन एवं वन्यजीव, बरेली वृत्त, बरेली।